न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 02–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–12–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 07/अपील/15–15.

1– नसीर खां पिता स्व. बशीर खां
2– वजीर खां पिता स्व. बशीर खां
3– भैया मिया पिता पिता स्व. बशीर खां
4– संदल बी पत्नी स्व. बशीर खां
5– मुन्नी बी पुत्री स्व. बशीर खां
6– बिल्कीस बी पुत्री स्व. बशीर खां
7– बिब्बो पत्नी स्व. बाबू खां
8– नवाब पिता स्व. बाबू खां
9– हसीन पिता स्व. बाबू खां
10– उवेद पिता स्व. बाबू खां
समस्त कृषकगण एवं निवासीगण कलखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल
11– परबीन पत्नी नियामत खां साजिदा नगर, भोपाल
12– मेहरीन पत्नी हकीम कोड़िया जिला सीहोर
13– अमरीन पत्नी शेख कदीर केंप नं. 12 बैरागढ़
समस्त कृषकगण कलखेड़ा, तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– शहजादे खां वल्द स्व. ईशाक खां
2– मुस्तकार खां वल्द स्व. ईशाक खां
3– अफरोज बी पुत्री स्व. ईशाक खां
4– फिरदोस बी पुत्री स्व. ईशाक खां
5– बिल्लो बी बेवा स्व. ईशाक खां
6– (अ) बन्ने मिया वल्द कालू खां
(ब) रउफ खां वल्द कालू खां
(स) जहूर खां वल्द कालू खां
(द) लईका बी पुत्री कालू खां
(इ) नफीसा बी पुत्री कालू खां
(ई) छोटी बी पुत्री कालू खां

(उ) शहनाज बी पुत्री कालू खां
7– (अ) अनीस खां वल्द छम्मू खां
(ब) इसरार खां वल्द छम्मू खां
(स) निसार खां वल्द छम्मू खां
(द) अंसार खां वल्द छम्मू खां
(इ) अबरार खां वल्द छम्मू खां
(ई) कमर खां वल्द छम्मू खां
(उ) रियासत खां वल्द छम्मू खां
(ए) शहजादी बी पुत्री छम्मू खां
(ऐ) आबादी बी पुत्री छम्मू खां
(ओ) रानी बी पुत्री छम्मू खां
(औ) रहिमन बी बेवा छम्मू खां
8– (अ) नफीस खां वल्द छोटे खां
(ब) नसीम खां वल्द छोटे खां
(स) नदीम खां वल्द छोटे खां
(द) इकबाल खां वल्द छोटे खां (नाबालिग)
(इ) नासिर खां वल्द छोटे खां (नाबालिग)
(ई) वसीम खां वल्द छोटे खां (नाबालिग)
तीनों की संरक्षिका
माता अजीजा बी पत्नी छोटे खा
(उ) अजीजा बी बेवा छोटे खां
समस्त निवासीगण कलखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल
9– रईस खां वल्द रशीद खां
निवासी कलखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्रीमती माधवी खत्री, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 से 5
श्री अबरार खां, अभिभाषक, अनावेदक क. 6 से 9

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा तहसीदार हुजूर के आदेश दिनांक 13–8–14 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 30–6–15 को लगभग 9 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 को तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–12–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति संबंधी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी स्वीकार करते हुए विलम्ब क्षमा किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारा आवेदन पत्र एवं फर्द बटवारे पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के पिता स्व. ईशाक खां के हस्ताक्षर हैं । यह भी कहा गया कि ईशाक खां के जीवित रहते अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, और उनकी मृत्यु के 10 माह से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत उत्तर पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के आवेदन पत्र का निराकरण करना चाहिए था तत्पश्चात अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण करते, परन्तु ऐसा नहीं कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि पिता द्वारा बटवारा की कार्यवाही की जाये, और पुत्रों को उसकी जानकारी न हो यह कतई विश्वसनीय नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि जिस पक्षकार के पक्ष में आदेश पारित हुआ है, उसे अंतिमता का अहसास हो, और दूसरे पक्षकार को लाभ देने के लिए विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विलम्ब क्षमा करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2007 (II) MPWN (H.C.) 25 , 2011 (3) MPLJ (S.C.) 135, 2012 (4) MPLJ (S.C.) 1, 2008 (II) MPWN (H.C.) 32, 1992 RN 289, 2010 (II) MPWN (H.C.) 108, 1988 RN 191, 1989 RN 243, ए.आई.आर. 1962 (S.C.) 361, 2000 RN 153, 1999 RN 366, 1995 RN 139 एवं 2014 (1) MPWN 4 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के पिता कैंसर से पीड़ित थे, और जिस समय उसके द्वारा हस्ताक्षर आवेदन पत्र एवं फर्द बटवारे पर होना बताया जा रहा है, उस समय वे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती थे तब उसके द्वारा हस्ताक्षर कैसे किये जा सकते हैं । यह भी कहा गया कि आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील में उपस्थित हो गये हैं, और उनके द्वारा पक्ष समर्थन किया जा रहा है, साथ ही तहसील न्यायालय के जिस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, उसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण के अभिभाषक अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य बता रहे हैं, जबकि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि समझ से परे कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण द्वारा न तो ईशाक खां को पक्षकार बनाया गया है, और न ही उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, इसलिए समय–सीमा का बंधन लागू नहीं होगा । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय की कार्यवाही से शासन को मुद्रांक शुल्क की भी हानि हुई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 स्व. ईशाक खां के परिजन (पुत्र/पुत्री एवं पत्नी) होने से नैसर्गिक वारिस हैं, और इस कारण प्रश्नाधीन भूमि में उनका स्वत्व निहित है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने में पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दोनों अपीलें पृथक–पृथक वैधानिक बिन्दुओं पर प्रस्तुत की

गई हैं । यह भी कहा गया कि स्व. ईशाक खां के कैंसर से पीड़ित होने का तथ्य अभिलेख पर नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुए कि तहसील न्यायालय के आदेश से अनावेदकगण के हित प्रभावित हुए हैं, और तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को न तो पक्षकार बनाया गया है, और न ही सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिया गया, अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । वैसे भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया हो, तब ऐसे आदेश को समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर स्थिर नहीं रखना चाहिए, और सामान्यतः प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर करना चाहिए, जिससे पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो । उपरोक्त स्थिति में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । दर्शिति परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर